न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

अपील संख्या 67/2016 भादरराम बनाम रणजीत आदि

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
03.08.2017	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी, सूरतगढ के आदेश दिनांक 12.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री Compromise decree है। परन्तु अपीलांट का कथन है कि वह अनपढ व्यक्ति होने से उसे धोखे में रखकर अंगूठा करवाया था अगर धोखे में रखकर कोई कार्यवाही की गई है तो यह एक Criminal offence बनता है जिसके लिए आपराधिक प्रकरण सम्बन्धित थाना में दर्ज होना अपेक्षित है जो अब भी दर्ज करवाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में उभयपक्ष अभिभाषकगण की उपस्थिति दर्शाई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सीपीसी की धारा 96(3) की परिधि में आने से अपील Lie नहीं हो सकती। अतः इसी तकनीकी ground पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)	